प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़, थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
प्र0सू0रि0 सं ....82/22......... दिनांक....................9/3/2022..........
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं ..... 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 व 120बी आईपीसी........

(2) अधिनियम..धाराऐं ....

(3) अधिनियम..धाराऐं..

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 08.03.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 03.03.2022 समय :– 09.30 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....186....... समय..............6:25 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित टाईप शुदा प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 55 कि0मी0 बजानिब पूर्व–दक्षिण दिशा
बीट संख्या..जुरामदेही सं..
(ख) पताः– आरोपी का किराये पर लिया हुआ श्री स्वप्निल तिवारी का गोविन्द नगर वार्ड नं0 02 में स्थित मकान कस्बा अकलेरा
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री सुरेश कुमार
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री धन्नालाल जाति भील
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 38 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– लक्ष्मीपुरा थाना भालता जिला झालावाड़।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष निवासी सी–13 प्रगति नगर शुभम रिसॉर्ट के पास, बोरखेड़ा कोटा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0)
2. श्री करणसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल जाति भील उम्र 29 वर्ष निवासी बैरागढ़ थाना भालता जिला झालावाड़ (राज0) प्राईवेट व्यक्ति
3. श्री धर्मेन्द्र चौधरी निवासी म0नं0 152/11, हनुमान मन्दिर के पास सुभाष नगर, अजमेर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 15,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2022 समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धन्नालाल उम्र 38 वर्ष जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा थाना भालता जिला झालावाड मो0नं0

9772662404 ने ब्यूरो कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री सुरेश कुमार के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी स्वंय द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखा जाना तथा उसमें अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के ही हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाप्त पर बताया कि स्वंय उसके तथा उसके परिजनों व गांव वालो में श्री धन्नालाल, श्री हरकचन्द, श्रीमती कान्ति बाई, श्री शिव, श्री पूनमचन्द, श्री सुपातर सिंह तथा श्री देवीलाल के नाम से आज से लगभग 4 साल पहले वर्ष 2018 में मेड़बन्दी का कार्य स्वीकृत हुआ था। हमारी ग्राम पंचायत बैरागढ़ लगती है। मैंने मेड़बन्दी का कार्य पूरा होने के बाद हमारी ग्राम पंचायत बैरागढ़ के ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा से आठों फाईलों के मेड़बन्दी कार्य के लगभग 3.5 लाख रूपये के बिलों को पास करवाने के लिए उस समय मिला तो उसने मुझसे कहा कि मुझे पंचायत समिति में जेईएन को भी बिल पास करने के लिए रूपये देने पड़ते है। तुम्हारी तथा अन्य सभी आठों फाईलों के बिल पास हो जायेगें परन्तु तुम्हें प्रत्येक फाईल का बिल पास कराने के लिए 8,000रूपये के हिसाब से कुल 64,000रूपये देने पड़ेगें। इस पर मैंने मेरे परिजनों व गांव वालों जिनकी मेड़बन्दी के बिलों को पास करने की फाईले लगी थी उनको यह बात बतायी तो उन्होंने कहां कि अभी 4–4 हजार रूपये दे देते है। बाकी 4–4 हजार रूपये बिल पास होने के बाद दे देगें। इस पर मैंने मेरे व अन्य सभी से 4–4 हजार रूपये एकत्रित कर कुल 32,000रूपये डर के मारे मेड़बन्दी के बिल पास कराने के लिए श्री शैलेन्द्र शर्मा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बैरागढ़ को दे दिये थे। उसके बाद मैंने उनसे मेड़बन्दी के बिल पास कराने के लिए कई बार सम्पर्क किया तो उन्होने कहां कि बाकी के 32,000रूपये भी लेकर आवों उसके बाद तुम्हारे बिल पास हो जाऐगें। आज से लगभग एक साल पूर्व श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी का ग्राम पंचायत बैरागढ़ से अन्य दूसरी ग्राम पंचायत मेठून में ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर होने के बाद भी वह हमारी आठों फाईलों को अपने साथ ही ले गया। इस पर मैं उनसे ग्राम पंचायत मेठून में जाकर मिला और कहा कि हमारी फाईले मुझे वापस दे दो, आपने अभी तक हमारे मेड़बन्दी कार्य के बिल भी पास नहीं कराये है। इस पर उन्होंने कहां कि मेरा ट्रांसफर हो गया तो क्या हुआ, तुम बाकी के 32,000रूपये सभी से इक्ट्ठे करके लेकर आ जावों, मैं श्री विनोद जेईएन से कहकर तुम्हारे बिल पास करवा दूंगा। श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी मेरी व अन्य सातों मेड़बन्दी कार्य सम्बधी फाईलों को वर्ष 2018 से रिश्वत के चक्कर में लेकर बैठे है। न तो उन्होने मुझे हमारी फाईले वापस दी है और ना ही हमारे बिल पास कराये है। रिश्वत के चक्कर में हमारे बिल अटका रखे है। मैं अब हमारी मेड़बन्दी की कार्य सम्बधी फाईलों के बिल पास करवाने के लिए श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी हाल ग्राम पंचायत मेठून को 32,000रूपये की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उन्हे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है। और ना ही कोई पुराना उधारी का लेन–देन बकाया है। परिवादी के प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला (संशोधित) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 की परिधी मे आता है। अतः परिवादी श्री सुरेश कुमार को आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन मे जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 03.03.2022 समय 10.20 एएम पर ब्यूरो कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97 से मालखाना से निकलवाकर चैक करवाकर परिवादी श्री सुरेश कुमार को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु रूबरू गवाहान चालू बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भली–भांति समझाया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 03.03.2022 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार के बताये अनुसार आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी का अकलेरा कस्बे में स्थित किराये के मकान पर होने की जानकारी देने पर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर हमराह निगरानी हेतु श्री देवदान सिंह कानि. 425 के साथ दोनो को अपनी–अपनी मोटर साइकिलों से बजानिब कस्बा अकलेरा के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 03.03.2022 समय 02:45 पीएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार के साथ मे निगरानी हेतु भेजे गये ब्यूरो कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि. 425 ब्यूरो कार्यालय में अकेला उपस्थित आया। श्री देवदान सिंह कॉनि0 ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं और परिवादी श्री सुरेश कुमार कार्यालय से रवाना होकर कस्बा अकलेरा में आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के किराये के कमरे से कुछ दूरी पूर्व अपने–अपने दुपहिया वाहन रोककर मेन रोड़ पर परिवादी श्री सुरेश कुमार ने मुझे वहीं रूकने व इन्तजार करने की कहने पर मैं वहीं रूक गया व इन्तजार करने लगा तथा परिवादी श्री सुरेश कुमार आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के किराये के कमरे पर चला गया था। लगभग आधा घण्टा के बाद परिवादी श्री सुरेश कुमार मेरे पास आया व मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी श्री शैलेन्द्र शर्मा से हमारी आठों फाईलों के मेड़बन्दी के बिल पास कराने के सम्बध में वार्तालाप हो गयी है। वार्तालाप के दौरान मैंने सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लिया है। मेरे द्वारा थोड़ा कम करने की कहने पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ने हमारी ग्राम पंचायत बैरागढ़ के जेईएन श्री विनोद से उसके मोबाईल पर वार्तालाप कर हमारी मेड़बन्दी के कार्य की आठों फाईलों

के बिल पास करने की एवज् में प्रत्येक फाईल के तीन–तीन हजार के हिसाब से कुल 24,000/–रूपये लेने के लिये राजी हो गया है। मुझे रिश्वत राशि के 24,000रूपयों की व्यवस्था भी करनी है। अतः मैं आपके साथ नहीं चल सकता। रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मैं आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के बारे में पता कर आपके कार्यालय आ जाऊंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा सुपुर्द किये गया रिकोर्डेड वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री मो0 आफ़ाक हैड कॉनि0 को सुपुर्द करवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी श्री सुरेश कुमार के कार्यालय में उपस्थित होने पर स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 07.03.2022 समय 03.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा जो राज कार्य से जयपुर गया हुआ था, मैंने श्री गोपाललाल हैड कानि. 26 को जरिये मोबाईल बताया कि परिवादी श्री सुरेश कुमार ने जरिये मोबाईल मुझे अवगत कराया है कि उसने आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 24000/–रूपये की व्यवस्था कर ली है तथा कल दिनांक 08.03.2022 को दोपहर बाद आरोपी ने उससे सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार स्थान पर रिश्वत राशि लेकर आने के लिए कहा है तथा परिवादी श्री सुरेश कुमार कल 11.00 एएम तक ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि लेकर उपस्थित हो जायेगा। मैं आज जयपुर हूं रात्रि तक झालावाड़ आ जाऊंगा। इसलिये गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाहों को प्रातः 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पांबन्द करने बाबत् पत्र जारी करें। इस पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 ने निर्देशों की पालना में दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 10.00 बजे गोपनीय कार्यवाही हेतु दो सरकारी गवाहान भिजवाने बाबत् कार्यालय से पत्रांक 161 दिनांक 07.03.2022 सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ के नाम जारी कर श्री सूरजमल कानि. 521 को देकर भिजवाया गया। दिनांक 07.03.2022 समय 4.00 पीएम पर श्री सूरजमल कानि. 521 ने ब्यूरो कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक की पालना में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ से उनके कार्यालय पत्रांक 1141 दिनांक 07.03.2022 द्वारा गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री मांगीलाल पुत्र श्री मथुरालाल जाति बैरवा उम्र 59 वर्ष निवासी संजय कॉलानी झालावाड हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड मो.न. 9460747487 व श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 34 वर्ष निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी झालावाड़ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड मो0नं0 9950608343 को पाबन्द कराकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.03.2022 समय 10.30 एएम पर दोनों सरकारी गवाह श्री मांगीलाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री रोहित शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। दिनांक 08.03.2022 समय 10.50 एएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 24,000/– रूपये लेकर आया है तथा मैंने आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून के बारे में पता किया है वह दोपहर बाद अपने किराये के कमरे पर अकलेरा में ही मिलेगा तथा उसने मुझे उससे दोपहर बाद सम्पर्क कर आने के लिए बताया है। परिवादी श्री सुरेश कुमार के आने के उपरान्त स्वतंत्र गवाहन श्री मांगीलाल बैरवा व श्री रोहित शर्मा का परस्पर परिचय कराया जाकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री सुरेश कुमार का प्रार्थना पत्र पढ़कर हालात बताये गये, जिन्होने स्वैच्छा से गोपनीय कार्यवाही में शामिल होने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 08.03.2022 समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बैरवा व श्री रोहित शर्मा की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 03.03.2022 को परिवादी श्री सुरेश कुमार व आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा परिवादी के ग्राम पंचायत बैरागढ़ के जेईएन श्री विनोद से उनके मोबाईल पर बात कर परिवादी की मेड़बन्दी के कार्य की आठ फाईलों के बिलों को पास करने की एवज् में प्रति फाईल के तीन–तीन हजार के हिसाब से कुल 24,000/–रूपये लेने के लिये राजी हो गया है। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 03.03.2022 को हुई वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री सुरेश कुमार को वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री सुरेश कुमार ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। वार्ता की हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 08.03.2022 समय 12:30 पीएम परिवादी श्री सुरेश कुमार ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री रोहित शर्मा वरिष्ठ सहायक के समक्ष अपने पास से 24,000/–रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 48 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर निर्देश देकर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई तथा श्री हर्ष कुमार कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट 24000/–रूपये सुपुर्द कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। गवाहान श्री मांगीलाल बैरवा से परिवादी श्री सुरेश कुमार की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि 24000/–रूपये के नोटो को परिवादी श्री सुरेश कुमार की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते मे अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व मे आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणो ने अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। आरोपी से रिश्वती लेन देने के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु मालखाना से निकलवाया जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री सुरेश कुमार को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 08.03.2022 समय 01:15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल व श्री रोहित शर्मा तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरजमल कानि. 521, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो को ड्राईवर की अनुपस्थिति में श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 नं0 97 से ड्राईविंग कराकर व प्राईवेट वाहन को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 द्वारा ड्राईविंग कराकर ब्यूरो कार्यालय से बजानिब कस्बा अकलेरा की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। परिवादी श्री सुरेश कुमार को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से ट्रेप पार्टी के वाहनों के आगे–आगे रवाना किया। तथा नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 08.03.2022 समय 02:30 पीएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार अपनी स्वंय की मोटर साईकिल से रवाना शुदा कस्बा अकलेरा में आरोपी के किराये के मकान से कुछ दूरी हाईवे पर रूका तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास मय वाहनों के पहुंचा। परिवादी स्वंय की मोटर साईकिल से उतरकर मेरे पास आया। इस पर परिवादी को हिदायत देकर आरोपी शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के किराये के मकान के लिए मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व रिश्वत राशि के उसकी स्वंय की मोटर साईकिल से रवाना किया। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी बोलेरो जीप व प्राईवेट वाहन में ही महिन्द्रा ट्रेक्टर शोरूम के पास परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ एवं ट्रेप जाल बिछाया। दिनांक 08.03.2022 समय 02:50 पीएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार भील

निवासी लक्ष्मीपुरा थाना भालता जिला झालावाड़ द्वारा आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के गोविन्द नगर वार्ड नं0 02, अकलेरा कस्बे में स्थित किराये के मकान के बाहर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नजदीक ही स्थित महिन्द्रा ट्रेक्टर शोरूम के सामने देखकर पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी तत्काल मेरे पीछे–पीछे खड़े अन्य प्राईवेट वाहन में बैठे श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को नजदीक आने का ईशारा कर अपना सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर तत्काल हमराह लेकर परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी श्री सुरेश कुमार से पूर्व में रिश्वत लेन–देन के दौरान आरोपी से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया गया तथा रिश्वत लेन–देन वार्तालाप रिकॉर्ड करने बाबत् पूछने पर परिवादी श्री सुरेश कुमार ने बताया कि घबराहट में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर का गलत बटन दब जाने की वजह से रिश्वत लेन–देन वार्तालाप इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकी है। तत्पश्चात् परिवादी श्री सुरेश कुमार से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने पूछने पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि, आरोपी ने मुझसे मेड़बन्दी कार्य के पेण्डिंग बिलों को पास कराने की एवज में पांचों पत्रावलियों के 15,000रूपये की रिश्वत राशि वहां पर मौजूद श्री करण सिंह को दिलवा दी है तथा शेष 9,000रूपये मेरे पास रखे हुए है। आरोपी व श्री करण सिंह इस किराये के मकान के अन्दर ही बैठे हुए है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री सुरेश कुमार के पीछे–पीछे मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान आरोपी के किराये के मकान के अन्दर पहुंचा, तो सामने वाले कमरे में रखे तख्त पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनमें एक नीली टी–शर्ट व नीली जिन्स की पेन्ट पहने हुए चश्मा लगाये हुए व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि साहब यही, श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून है तथा दूसरे सांवले से दुबले पतले पिंक कलर की शर्ट व चैक वाली पेन्ट पहने व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यह श्री करण सिंह है, जिसको श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ने अभी–अभी मुझसे 15,000/–रूपये की रिश्वत राशि दिलवाकर पीछे की तरफ भिजवा दिया था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों आरोपियों को ट्रेप पार्टी व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर निली टी–शर्ट व पेन्ट पहने व्यक्ति से उसका नाम–पता पुछा तो उसने अपना नाम शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष निवासी सी–13 प्रगति नगर शुभम रिसॉर्ट के पास, बोरखेड़ा कोटा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) होना तथा दूसरे सांवले से पींक कलर की शर्ट पहने व्यक्ति ने अपना नाम करणसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल जाति भील उम्र 29 वर्ष निवासी बैरागढ़ थाना भालता जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी से परिवादी श्री सुरेश कुमार से ली गई रिश्वत राशि 15,000 रूपये बाबत् पूछा गया की उन्होने यह रिश्वत राशि क्यों व किस कार्य की एवज में ली है। इस पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ने रूबरू गवाहान बताया की मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है और न ही मैंने श्री सुरेश कुमार से कोई रिश्वत राशि की मांग की है। मैंने अपने व सरपंच ने हस्ताक्षर करके इन सब फाईलों के बिल बाउचर तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री धर्मेन्द्र चौधरी पंचायत समिति अकलेरा हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनोहरथाना जिला झालावाड़ को कई बार पेश किये परन्तु उन्होने रिश्वत के चक्कर में यह समस्त बिल पास नहीं किये। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। एमबी संख्या 31 के पृष्ठ संख्या 17 पर श्री धन्नालाल, पृष्ठ संख्या 31 पर श्री पूनमचन्द, पृष्ठ संख्या 35 पर श्री सुपातर सिंह तथा पृष्ठ संख्या 21 पर श्री शिवलाल द्वारा कराये गये मेड़बन्दी कार्य की प्रविष्टि कर रखी है। इसके अलावा एमबी संख्या 263 के पृष्ठ संख्या 57 पर श्री कालूसिंह तथा पृष्ठ संख्या 10 व 55 पर परिवादी श्री सुरेश कुमार द्वारा कराये गये मेड़बन्दी कार्य की प्रविष्टि की हुई है। इसके अलावा एमबी संख्या 157 के पृष्ठ संख्या 02 पर श्री हरकचन्द, पृष्ठ संख्या 05 पर श्रीमती कान्ति बाई तथा पृष्ठ संख्या 70 व 94 पर श्री देवीलाल द्वारा कराये गये मेड़बन्दी कार्य की प्रविष्टि की हुई है। इनमें से केवल श्री धन्नालाल, श्री पूनमचन्द, श्री सुपातरसिंह, श्री शिवलाल, श्री हरकचन्द, श्रीमती कान्ति बाई के मेड़बन्दी कार्य सम्बधी बिल पास हो सकते है। क्योंकि अन्य द्वारा कराये गये मेड़बन्दी कार्यों के बिल साईट बन्द हो जाने के कारण पास नहीं सकते। परन्तु उस समय श्री धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा रिश्वत के चक्कर में पंचायत समिति अकलेरा में तैनाती के दौरान इन समस्त बिलों व एमबी पर हस्ताक्षर नहीं किये जिसके फलस्वरूप इन बिलों की फाईलों की अब साईट बन्द होने की वजह से भुगतान नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने जब–जब भी श्री धर्मेन्द्र चौधरी को पास करने हेतु बिल पेश किये परन्तु उन्होने रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत राशि नहीं मिलने पर बिल पास नहीं किये। आप चाहे तो मैं अभी भी श्री धर्मेन्द्र चौधरी से बातचीत करने को तैयार हूं देखना अभी भी वह मोबाईल पर ही बिलों को पास करने के लिए रिश्वत मांगेगा। इस पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त कथन की पुष्टि के लिये आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के मोबाईल नम्बर 7014239854 से श्री धर्मेन्द्र चौधरी के मोबाईल नम्बर 7878675053 पर स्पीकर ऑन कर वार्तालाप करायी तो श्री धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने श्री शैलेन्द्र शर्मा से 3–3 हजार रूपये के हिसाब से अपने लिए 9,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। दोनों के मध्य हुई वार्तालाप को रूबरू गवाहान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया

गया, जिसे ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब की जावेगी। तत्पश्चात् अन्य आरोपी श्री करण सिंह भील से परिवादी श्री सुरेश कुमार से ली गयी रिश्वत राशि के 15,000रूपये लेने बाबत् पूछा गया तो उसने रूबरू गवाहान बताया कि श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के कहने पर मैंने 15,000रूपये श्री सुरेश कुमार से अभी–अभी लिये थे जो लेने के बाद मैंने मकान के पीछे के बायें कमरे में उनके कहने पर रखी हुई लोहे की अलमारी के लॉकर में छुपाकर रख दिये है। मैंने मेरे लिए कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। मैं श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी जी के यहां लगभग 3–4 साल से तीन–चार हजार रूपये महिने के हिसाब से इनके बताये अनुसार लिखा–पढ़ी का काम करता हूं। पुनः आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा से परिवादी श्री सुरेश कुमार भील से पूर्व में ली गयी रिश्वत राशि 32,000रूपये तथा दिनांक 03.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान मेड़बन्दी कार्य की पेण्डिंग आठों पत्रावलियों के बिल पास कराने की एवज में 3–3 हजार रूपये प्रति फाईल के हिसाब से 24,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करने बाबत् पूछा गया तो उन्होने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है और ना ही पहले मैंने परिवादी श्री सुरेश कुमार से 32,000रूपये रिश्वत राशि ली है। आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का परिवादी श्री सुरेश कुमार ने खण्डन करते हुए बताया कि साहब श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी झूठ बोल रहे है। मैंने व मेरे परिजनों तथा गांव के श्री धन्नालाल, श्री हरकचन्द, श्रीमती कान्ति बाई, श्री शिव, श्री पूनमचन्द, श्री सुपातसिंह तथा श्री देवीलाल के नाम से आठ जनों ने आज से चार साल पहले वर्ष 2018 में मेड़बन्दी का कार्य स्वीकृत होने पर कराया था। समस्त फाईलों के मेड़बन्दी कार्य के लगभग 3.5 लाख रूपये के बिल पास करने के लिए उस समय हमारी ग्राम पंचायत में तैनात श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी जी से सम्पर्क किया तो उन्होने प्रत्येक फाईल के 8–8 हजार रूपये देने पर मेड़बन्दी के बिल पास कराने की जिम्मेदारी ली थी जिस पर हमने इनको 32,000रूपये पहले दे दिये थे। तीन साल गुजरने के बाद भी इनके द्वारा हमारे बिल पास नहीं कराये गये तथा लगभग एक वर्ष पूर्व इनका ट्रासफर ग्राम पंचायत मेतून में हो गया। उसके बाद मैंने इनसे सम्पर्क किया तो इन्होने कहां कि तुम्हारी फाईले मेरे पास है बाकी के रूपये लेकर आवो। मैंने इनसे विनती की तो इन्होने कहा कि 3–3 हजार रूपये प्रति फाईल के हिसाब से 24,000रूपये दे देना तुम्हारे बिल पास हो जाऐगें। मैं इन्हे रिश्वत राशि नहीं देना चाहता था इसलिए मैंने आपके यहां जाकर इनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने की शिकायत देने पर आपने श्री देवदान सिंह कानि0 को मेरे साथ अकलेरा भेजकर डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर वार्तालाप करने पर कहा था जिस पर मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप की थी जिसमें भी इनके द्वारा 3–3 हजार रूपये प्रति फाईल देने पर मेड़बन्दी कार्य के बिल पास कराने के लिए कहा था तथा उस दिन जेईएन साहब से बातचीत भी की थी। जेईएन साहब का नाम मैं नहीं जानता हूं कि उनका नाम श्री धर्मेन्द चौधरी है या श्री विनोद है। आज इन्होने मुझसे कहां कि आठ में से पांच फाईलों के ही बिल ही पास हो सकते है। इसलिए तुम 15,000रूपये ही करण सिंह को दे जावों तुम्हारा काम हो जाऐगा। इस पर मैंने गिनकर 500–500रूपये के 30 नोट कुल 15,000रूपये श्री करण सिंह भील को दे दिये थे। मैं व अन्य सभी लोग मेड़बन्दी कार्य के लगभग 3.5 लाख रूपये के बिल पास नहीं होने के कारण चार साल से परेशान है। रिश्वत के चक्कर में ये लोग हमारे मेड़बन्दी के बिल पास नहीं करा रहे है तथा बार–बार चक्कर कटवा रहे है व हमारी फाईले भी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी नहीं दे रहा है। उसके बाद आज इन्होने मुझे रिश्वत राशि लेकर अकलेरा में किराये के मकान पर बुलाया था। जहां पर आपकी टीम द्वारा इनको व श्री करण सिंह भील को 15,000/–रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। चूकिं आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्वंय रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। अतः उसके दोनों हाथों के धोवन की कार्यवाही नहीं की गयी है तथा अन्य आरोपी श्री करण सिंह भील के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री करण सिंह भील के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा मोके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री करण सिंह भील के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। फिर गवाह श्री मांगीलाल बैरवा को आरोपी श्री करण सिंह भील द्वारा मकान के पीछे बायीं और स्थित कमरे में रखी हुई लोहे की अलमारी के लॉकर को आरोपी श्री करण सिंह भील से खुलवाया जाकर तलाशी लिवाई गयी तो उन्होने लॉकर की तलाशी मे दौरान 500–500 रूपये के नोटो की थेई पेश की। जिस पर उनकी गिनती करने पर 500–500 रूपये के कुल 30 नोट कुल राशि 15,000 रूपये होना पाया गया। तत्पश्चात अन्य गवाह श्री रोहित शर्मा को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश करने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी मे अंकित नोटो का मिलान कर

क्रम संख्या 19 से 48 तक अंकित नम्बरी रिश्वती राशि वाले 15,000 रूपये होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अंकित किये जा रहे हे। जो निम्न प्रकार है:–

01	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9EF 534774
02	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9EF 534775
03	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9EF 534776
04	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9EF 534777
05	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9EF 534778
06	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1PA 181659
07	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4EU 343181
08	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4ET 506694
09	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7KM 340626
10	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0DS 286417
11	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8RU 177962
12	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1EA 263411
13	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7QV 005177
14	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0FR 347194
15	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0NN 742800
16	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1MB 826537
17	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0FW 335355
18	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5VT 426568
19	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2QD 563936
20	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7AM 208321
21	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8RU 919216
22	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3MG 649037
23	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2VE 758804
24	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7HH 923224
25	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2VF 319044
26	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8VB 056160
27	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2HA 887715
28	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5QV 827864
29	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4MW 547606
30	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6SG 797863

उक्त बरामद नोटो को कागज में मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त बरामदशुदा नोटो के अलावा दोनों आरोपितों के कब्जे से अन्य कोई सामान, नकदी व अन्य कोई बहूमुल्य वस्तु नहीं मिली, जिसे ब्यूरो द्वारा कब्जे मे लिया जावे। परन्तु आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी के किराये के मकान के आगे के कमरे से परिवादी श्री सुरेश कुमार के पेण्डिंग कार्य सम्बधी समस्त पत्रावलियां व सम्बधित मेड़बन्दी कार्य की मापन पुस्तिका (एमबी) मिली है। तदुपरान्त आरोपी श्री करण सिंह भील द्वारा रिश्वत राशि रखे स्थान अलमारी के लॉकर के अन्दर की धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर लॉकर की धुलाई हेतु कपड़े की चिन्दी से लॉकर के अन्दर के स्थान को रगड़कर चिन्दी को कांच के तैयार गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का ए–1, ए–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड़ को तलाश कर पूछताछ की जाकर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी श्री सुरेश कुमार व अन्य लोगों के मेड़बन्दी सम्बधी कार्य के बिलों की पत्रावलियों व सम्बधित एमबी जो कि आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के कब्जे से मिली है, उसकी प्रमाणित प्रति ली जाकर शामिल पत्रावली की गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 08.03.2022 समय 06:15 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेश कुमार की निशानदेही अनुसार घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा आरोपी श्री करण सिंह प्राईवेट व्यक्ति को 15,000रूपये रिश्वत राशि के दिलवाकर मकाने के पीछे बायीं तरफ के कमरे में रखी हुई लोहे की अलमारी के लॉकर में रिश्वत राशि 15,000रूपये रखवायी गयी, रिश्वत राशि

बरामदगी घटनास्थल आरोपी का किराये का मकान अकलेरा का फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 08.03.2022 समय 06:30 पीएम पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष निवासी सी–13 प्रगति नगर शुभम रिसॉर्ट के पास, बोरखेड़ा कोटा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी गवाह श्री मांगीलाल बैरवा से लिवायी तो आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के पास पहने हुये कपड़ो के अलावा कोई वस्तु इत्यादी बरामद नहीं हुई। रूबरू गवाहन श्री मांगीलाल बैरवा एवं श्री रोहित शर्मा के समक्ष आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके पुत्र श्री शुभम शर्मा के मोबाईल नम्बर 8949247650 पर दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 08.03.2022 समय 06:45 पीएम पर आरोपी प्राईवेट व्यक्ति श्री करणसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल जाति भील उम्र 29 वर्ष निवासी बैरागढ़ थाना भालता जिला झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी गवाह श्री मांगीलाल बैरवा से लिवायी तो आरोपी श्री करणसिंह के पास पहने हुये कपड़ो के अलावा कोई वस्तु इत्यादी बरामद नहीं हुई। रूबरू गवाहन श्री मांगीलाल बैरवा एवं श्री रोहित शर्मा के समक्ष आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके भाई श्री दिनेश भील के मोबाईल नम्बर 6377282461 पर दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 08.03.2022 समय 07:00 पीएम पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष निवासी सी–13 प्रगति नगर शुभम रिसॉर्ट के पास, बोरखेड़ा कोटा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) को स्वतंत्र श्री मांगीलाल बैरवा एवं श्री रोहित शर्मा के समक्ष, दिनांक 03.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी श्री सुरेश कुमार द्वारा डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है, उक्त आवाज का परीक्षण करवाने हेतु आरोपी को जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मै अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 08.03.2022 समय 07:15 पीएम पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी का किराये पर लिया हुआ कस्बा अकलेरा में श्री स्वप्निल तिवारी का गोविन्द नगर वार्ड नं0 02 में स्थित मकान जिसमें आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा निवास करता है उक्त स्थान की खाना तलाशी दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बैरवा एवं श्री रोहित शर्मा व आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा की मौजूदगी में ली गई। किसी भी प्रकार का कोई आईटम रिकॉर्ड इत्यादी कब्जे एसीबी नहीं लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 08.03.2022 समय 08:00 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री करणसिंह प्राईवेट व्यक्ति को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व जब्त शुदा आर्टिकल्स धोवन के सैम्पल व रिश्वत राशि 15,000/–रूपये मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। तथा परिवादी को भी उसके स्वंय की मोटर साईकिल से कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिये गये। दिनांक 08.03.2022 समय 09:30 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री करणसिंह प्राईवेट व्यक्ति व दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये अपने–अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत जब्त शुदा रिश्वत राशि 15,000/–रूपये तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। परिवादी श्री सुरेश कुमार भी हमारे साथ–साथ अपनी मोटर साईकिल से कार्यालय में उपस्थित आया। दिनांक 08.03.2022 समय 09:40 पीएम पर वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के मोबाईल नम्बर 7014239854 से श्री धर्मेन्द्र चौधरी के मोबाईल नम्बर 7878675053 पर स्पीकर ऑन कर वार्तालाप करायी गयी थी जिसमें श्री धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने श्री शैलेन्द्र शर्मा से 3–3 हजार रूपये के हिसाब से अपने लिए 9,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई थी। दोनों के मध्य हुई वार्तालाप को रूबरू गवाहान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया था, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लिवाकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री देवदान सिंह कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन सत्यापन मोबाईल वार्ता मुर्तिब करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 08.03.2022 समय 09:50 पीएम पर आरोपीगण श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री करणसिंह प्राईवेट व्यक्ति को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री शिवराज कानि. नं. 166 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। दिनांक 08.03.2022 समय 10:15 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.03.2022 जो आरोपी

श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री सुरेश कुमार के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 08.03.2022 को समय 11 एएम पर तैयार की गई थी व दिनांक 08.03.2022 को वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के मोबाईल नम्बर 7014239854 से श्री धर्मेन्द्र चौधरी के मोबाईल नम्बर 7878675053 पर स्पीकर ऑन कर वार्तालाप करायी गयी थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन सत्यापन मोबाईल वार्ता दिनांक 08.03.2022 को समय 09:40 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ता कार्यालय कम्प्यूटर में सेव थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को निर्देशित कर उक्त दोनों वार्ताओं की जरिये कम्प्यूटर पांच सीडी डब करवाई गई, जिसमें दो सीडी आरोपीयों के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 08.03.2022 समय 10:20 पीएम पर आरोपीगण श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री करण सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री शिवराज कानि. नं. 166 कार्यालय में हाजिर आये। दिनांक 08.03.2022 समय 10:30 पीएम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मांगी लाल व श्री रोहित शर्मा को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 03.03.2022 को परिवादी श्री सुरेश कुमार भील निवासी लक्ष्मीपुरा थाना भालता जिला झालावाड़ द्वारा स्वंय व उसके परिजनों तथा गांव वालों की आठ पत्रावलियों के मेड़बन्दी कार्य सम्बधी लगभग 3.5 लाख रूपये के बिल पास करने की एवज में आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा द्वारा 64,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना तथा पूर्व में 32,000रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना तथा उसके उपरान्त भी शेष 32,000 रूपये देने पर मेड़बन्द कार्य सम्बधी बिल पास करवाने की बताकर प्रत्येक पत्रावली 4–4 हजार रूपये के हिसाब से 32,000/–रूपये की मांग करने सम्बधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3–3 हजार रूपये प्रत्येक पत्रावली के हिसाब से 24,000रूपये की रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी का एक वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत बैरागढ़ से ग्राम पंचायत मेठून ट्रांसफर होने के उपरान्त भी समस्त आठों पत्रावलियों को अपने साथ ले आना तथा आज दिनांक 08.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान मेड़बन्दी कार्य के बिल पास कराने सम्बधी पांच पत्रावलियों के 15,000रूपये की रिश्वत राशि को वहां मौजूद श्री करणसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को देने का कहने पर परिवादी द्वारा 24,000रूपये रिश्वत राशि में से 15,000रूपये आरोपी श्री करणसिंह को दिलवाना तथा शेष तीन पत्रावलियों के मेड़बन्दी के बिल साईट बन्द हो जाने के कारण पास नहीं होने का कारण बताना एवं आरोपी श्री करणसिंह द्वारा रिश्वत राशि लेने के बाद उसको मकान के पीछे के बाऐं कमरे में स्थित लोहे की अलमारी के लॉकर में छुपाकर रखना तथा अलमारी के लॉकर से रिश्वत राशि के 15,000रूपये बरामद होना। आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि 5 मेड़बन्दी कार्यो के बिल पास हो सकते है तथा 3 मेड़बन्दी कार्यों के बिल साईट बन्द हो जाने के कारण पास नहीं सकते। उस समय श्री धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा रिश्वत के चक्कर में पंचायत समिति अकलेरा में तैनाती के दौरान इन समस्त बिलों व एमबी पर हस्ताक्षर नहीं किये जिसके फलस्वरूप इन बिलों की फाईलों की अब साईट बन्द होने की वजह से भुगतान नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने जब–जब भी श्री धर्मेन्द्र चौधरी को पास करने हेतु बिल पेश किये परन्तु उन्होने रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत राशि नहीं मिलने पर बिल पास नहीं किये। आप चाहे तो मैं अभी भी श्री धर्मेन्द्र चौधरी से बातचीत करने को तैयार हूं देखना अभी भी वह मोबाईल पर ही बिलों को पास करने के लिए रिश्वत मांगेगा। इस पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त कथन की पुष्टि के लिये आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के मोबाईल नम्बर 7014239854 से श्री धर्मेन्द्र चौधरी के मोबाईल नम्बर 7878675053 पर स्पीकर ऑन कर वार्तालाप करायी तो श्री धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने श्री शैलेन्द्र शर्मा से 3–3 हजार रूपये के हिसाब से अपने लिए 9,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। दोनों के मध्य हुई वार्तालाप को रूबरू गवाहान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया गया था। तत्कालीन तकनीकी सहायक श्री धर्मेन्द्र चौधरी द्वारा बिलों को पास नहीं करना। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री धर्मेन्द्र चौधरी से आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा के मोबाईल से स्पीकर ऑन कर कराई गई वार्तालाप के दौरान 3–3 हजार रूपये के हिसाब से 9,000/–रूपये अपने हिस्से के लेने की बात कहने से जुर्म साबित पाया गया। आरोपीगण के उक्त कृत्य पर आरोपी श्री शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री करण सिंह (प्राईवट व्यक्ति) को गिरफ्तार किया गया। परिवादी द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त,

रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.03.2022 व बरवक्त रिश्वत लेनदेन सत्यापन मोबाईल वार्ता दिनांक 08.03.2022 तथा आरोपी श्री करण सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के दोनों हाथ धुलाई का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ व रिश्वत राशि 15000/–रूपये बरामद स्थल लोहे की आलमारी के लॉकर को एक कपड़े की चिन्दी को गिली कर रगड़कर लिये गये धुलाई के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिससे आरोपीगणों का अपराध साबित पाया गया है। अतः आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म अंर्तगत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है।

इस प्रकार उक्त आरोपीगण श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जाति ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष निवासी सी–13 प्रगति नगर शुभम रिसॉर्ट के पास, बोरखेड़ा कोटा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) व श्री करणसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल जाति भील उम्र 29 वर्ष निवासी बैरागढ़ थाना भालता जिला झालावाड़ (राज0) प्राईवेट व्यक्ति तथा श्री धर्मेन्द्र चौधरी निवासी म0नं0 152/11, हनुमान मन्दिर के पास सुभाष नगर, अजमेर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपिगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 एसीबी राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं आरोपीगण 1.श्री शैलेन्द्र शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मेठून, पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़, 2. श्री करणसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल निवासी बैरागढ़ पुलिस थाना भालता जिला झालावाड़(प्राईवेट व्यक्ति) एवं 3. श्री धर्मेन्द्र चौधरी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति मनोहरथाना, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 82/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9/3
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 736-41 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, झालावाड़।
4. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर, झालावाड़।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

9/3
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।